पश्चिम बंगाल राज्य

ए.

वी.

राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह (2022 की आपराधिक अपील संख्या 923)

11 जुलाई, 2022

**[**दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985।27 ए, 37 और 21 (बी)/29-एस के प्रावधानों की कठोरता।37 जमानत देने से संबंधित-अप्रयोज्य-कोकीन, एक निषिद्ध दवा, तीन सवारियों के साथ एक मोटरकार से बरामद की गई-प्रत्यर्थी यू/एस एस अपराधों का आरोपी।21(बी)/29/27 ए-अपराध यू/एस से संबंधित प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप।27 ए कि उसने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर व्यक्तिगत रंजिश के कारण मोटरकार में सवार दो लोगों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत फंसाने के लिए आपराधिक साजिश रची-अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी ने भुगतान करने के बाद प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त की और फिर उसे तीन व्यक्तियों द्वारा कब्जा किए गए वाहन में लगाया-गिरफ्तार किए जाने के बाद, प्रत्यर्थी ने जमानत याचिका दायर की-निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी-प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-उच्च न्यायालय ने माना कि एस.37 इस मामले में लागू नहीं होगा और प्रत्यर्थी जो हिरासत में था, कड़ी शर्तों के साथ जमानत देने के लिए योग्य था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:जैसा कि लिखित शिकायत में कहा गया है, किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा विचाराधीन वाहन में वर्जित पदार्थ लगाने की कहानी पर केवल विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अभियोजन पक्ष के प्रारंभिक मामले के बिल्कुल विपरीत है-एक बार जब प्रत्यर्थी के खिलाफ अभियोजन मामले की सच्चाई गंभीर संदेह में है, तो नशीली दवाओं की तस्करी के वित्तपोषण और अपराधी को शरण देने के बारे में अन्य कारकों पर आगे विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि, जब वर्जित पदार्थ लगाने की कहानी को विचार से हटा दिया जाता है, तो अन्य सभी कारक जिनके द्वारा प्रत्यर्थी को इस तरह के कथित रोपण से जोड़ा जाना चाहा गया था, कम से कम इस स्तर पर केवल गलत और काल्पनिक माना जा सकता है-तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने सही पाया कि एस की प्रयोज्यता एस।27 ए इस मामले में गंभीर रूप से संदिग्ध था-वह

स्थिति होने के नाते; और अन्यथा प्रत्यर्थी से कोई वसूली नहीं होने के कारण और विचाराधीन मात्रा भी मध्यवर्ती मात्रा होने के कारण, एस की कठोरता।37 वर्तमान मामले पर लागू न हों-अतीत का इतिहास

जी.

एच.

538

539

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह ए

वर्तमान मामले से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में प्रत्यर्थी और यहां तक कि उसके आचरण से कुछ सवाल उठते हैं, लेकिन वर्तमान मामले में मजबूत प्रतिवाद कारक यह है कि प्रथम दृष्टया संकेत है कि उसे मनगढ़ंत और आधारहीन कहानियों द्वारा फंसाया जा रहा था-एक और ध्यान देने योग्य कारक यह था कि प्रत्यर्थी अतीत में किसी भी एनडीपीएस अधिनियम के मामले या किसी भी समान अपराध में शामिल नहीं था-इसके अलावा, प्रत्यर्थी से या उसके अनन्य नियंत्रण में किसी भी स्थान से किसी भी निषिद्ध वस्तु की बरामदगी नहीं की गई थी-यह कारक इस संदेह को और बढ़ाता है कि क्या प्रत्यर्थी मादक पदार्थों या किसी भी निषिद्ध पदार्थ में लिप्त था-यह स्थिति होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्वीकार्य या असंभव नहीं कहा जा सकता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना:**1.**प्रत्यर्थी की ओर से इस तर्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यदि दो गवाहों के बयान **27.02.2021** और **28.02.2021** पर दर्ज किए गए थे**,** तो जाँच एजेंसी के पास उसे **22.02.2021** पर बुलाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी।यह इस तथ्य के अलावा है कि उक्त दो गवाहों के बयान**,** प्रथम दृष्टया कुछ उचित प्रश्नों को जन्म देते हैं**,** कि उन्हें साथी के रूप में क्यों रखा गया था**,** जबकि प्रत्यर्थी और एक सह**-**अभियुक्त ने कथित

रूप से गुप्त रूप से कथित रूप से कार्रवाई की थी**?**वर्जित वस्तु और मुद्रा के आदान**-**प्रदान से संबंधित है**?[**पैरा **14.1] [559-**एफ**-**एच**]**

**2.1.**अभियोजन पक्ष के अनुसार**,** धारा **21 (**बी**)** और **29** एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए विचाराधीन प्राथमिकी **19.02.2021** की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई।यह शिकायत दिनांक **19.02.2021** अपीलार्थी का एक स्वीकृत दस्तावेज है और बल्कि पूरे मामले का आधार है।उक्त लिखित शिकायत के कुछ अंशों से पता चलता है कि वाहन को हिरासत में लेने में वास्तव में क्या हुआ और प्रतिबंधित पदार्थ कैसे बरामद किया गया।**[**पैरा **16] [560-**ई**-**जी**]**

जी.

एच.



**2.2.**इससे दो प्रमुख पहलू सामने आते हैं:एक**,** कि अवरोधन से पहले**,** विचाराधीन मोटरकार गति में थी और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही थी**,** जिसे पुलिस ने अन्य छापा मारने वाले दल के सदस्यों की मदद से हिरासत में लिया था**;** और दूसरा**,** कि तलाशी के दौरान**,** मोटरकार में सवार लोगों ने वाहन के अंदर दो विशिष्ट स्थानों की ओर इशारा किया जहां प्रतिबंधित दवा/कोकीन को गुप्त तरीके से रखा गया था**,** यानी**,** बाईं सामने की सीट का पीछे का ज़िप कवर और चालक की सीट के नीचे।इन दोनों दावों की**,** जब पूरक लिखित प्रस्तुतियों के साथ तीन मोटर**-**कार सवारों के कथित बयानों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है**,** तो उनकी असंगतता और विरोधाभास आश्चर्यजनक रूप से सामने आते हैं।उक्त बयानों के अनुसार**,** छापा मारने वाली टीम द्वारा मोटरकार को कथित रूप से घेरने से कुछ मिनट पहले**,** उक्त सवार वाहन से बाहर आ गए थे और अमृत राज सिंह **(**सह आरोपी**)** अपने कपड़े बदलने के लिए अंदर ही रहे और उन्होंने वाहन के अंदर कम से कम **10** से **15** मिनट बिताए जब इन तीन लोगों ने कथित तौर पर उन्हें झुकते हुए और कार के फर्श पर कुछ करते हुए देखा**!**कहानी**,** जैसा कि इन बयानों में सुझाया जाना चाहिए**,** प्रारंभिक शिकायत में बताए गए मौलिक तथ्यों का खंडन करती है कि तलाशी और छापेमारी करने वाले दल के व्यक्तियों ने वास्तव में चलते वाहन को रोक दिया था और उसे हिरासत में ले लिया था**;** और यह कि मोटरकार में सवार लोगों ने वाहन में उन विशिष्ट स्थानों की ओर इशारा किया था जहां प्रतिबंधित वस्तुओं को छुपाया गया था।**[**पैरा **16.1] [16.1-G-H, A-C]**

**3.** जब एस**.** आई**.** द्वारा वाहन की तलाशी के बाद लिखित शिकायत दर्ज करने और आई**.** डी**. 1** पर प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के दावे को वाहन के तीन सवारों के कथित बयानों के खिलाफ खड़ा किया जाता है**,** तो सवाल यह उठता है कि इस स्तर पर दो विरोधाभासी संस्करणों में से किसे स्वीकार किया जाना है**?**इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए**,** वर्तमान स्तर पर और मामले के प्रथम दृष्टया विचार पर**,** एकमात्र तार्किक दृष्टिकोण एस**.** आई**.** के संस्करण के आधार पर आगे बढ़ना हो सकता है जैसा कि लिखित शिकायत में दिया गया है क्योंकि**,** यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि लिखित शिकायत में संस्करण सही नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में**,** प्रत्यर्थी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले की इमारत गिर जाती है और गिर जाती है।इसे अलग तरह से रखते हुए**,** किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा विचाराधीन वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ लगाने की कहानी पर केवल विश्वास नहीं किया जा सकता है**,** क्योंकि यह पूरी तरह से ए है।

जी.

एच.

541

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह ए

अभियोजन पक्ष के प्रारंभिक मामले के विपरीत**,** जैसा कि लिखित शिकायत में कहा गया है। **[**पैरा **16.2] [562-**सी**-**एफ**]**

**4.** एक बार जब प्रत्यर्थी के खिलाफ अभियोजन मामले की सत्यता गंभीर संदेह में हो जाती है**,** तो नशीली दवाओं की तस्करी के वित्तपोषण और अपराधी को पनाह देने के बारे में अन्य कारकों पर आगे विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि**,** जब निषिद्ध पदार्थों के रोपण की कहानी को विचार से हटा दिया जाता है**,** तो अन्य सभी कारक जिनके द्वारा प्रत्यर्थी को इस तरह के कथित रोपण से जोड़ा जाना चाहिए**,** कम से कम इस स्तर पर केवल गलत और काल्पनिक माना जा सकता है।तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में**,** उच्च न्यायालय ने सही पाया है कि इस मामले में धारा **27** ए एनडीपीएस अधिनियम की प्रयोज्यता गंभीर रूप से संदिग्ध है।वह स्थिति होने के कारण**;** और अन्यथा प्रत्यर्थी से कोई वसूली नहीं होने और विचाराधीन मात्रा भी मध्यवर्ती मात्रा होने के कारण**,** धारा **37** एन**.** डी**.** पी**.** एस**.** अधिनियम की कठोरता वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है।**[**पैरा **16.3** और **16.4] [562-**एफ**-**एच**; 563-**ए**]**

**5.** प्रत्यर्थी का पिछला इतिहास और यहां तक कि वर्तमान मामले से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में उसका आचरण भी कुछ प्रश्नों को जन्म देता है**,** लेकिन वर्तमान मामले में मजबूत प्रतिवाद कारक प्रथम दृष्टया संकेत है कि उसे मनगढ़ंत और आधारहीन कहानियों द्वारा फंसाया जा रहा है।एक अन्य ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्यर्थी अतीत में किसी भी एन**.** डी**.** पी**.** एस**.** अधिनियम मामले या किसी भी समान अपराध में शामिल नहीं रहा है। अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह देखा गया है कि प्रत्यर्थी से या उसके अनन्य नियंत्रण में किसी भी स्थान से किसी भी प्रतिबंधित वस्तु का कुछ भी बरामद नहीं किया गया है।यह कारक इस संदेह को और बढ़ाता है कि क्या प्रत्यर्थी मादक पदार्थों या किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ में लिप्त था**?**यह स्थिति होने के कारण**,** उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मामले का पूरी तरह से अस्वीकार्य या असंभव दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा**,** यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी जानबूझकर **23.02.2021** पर केवल इसलिए फरार होने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह रात में कोलकाता में नहीं बल्कि पूर्व बर्धमान में पाया गया था।किसी भी मामले में**,** भागने की प्रवृत्ति से संबंधित पहलू का उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ विधिवत ध्यान रखा गया है।उच्च न्यायालय द्वारा पहले से लगाई गई कड़ी शर्तों के अलावा**,** अभियोजन पक्ष के लिए किसी भी और शर्त को लागू करने की मांग करना हमेशा खुला रहता है या



यहां तक कि पहले से लगाई गई शर्तों के उचित पालन में उसकी ओर से किसी भी गलती के मामले में प्रत्यर्थी को दी गई जमानत को रद्द करने का अनुरोध करने के लिए भी।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए**,** प्रत्यर्थी को विशिष्ट शर्तों के साथ जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।**[**पैरा **18.1** और **19] [564-**बी**-**जी**]**

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश कुमार सिंह **2015** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन काल **1338;** भारत संघ के माध्यम से मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो**,** लखनऊ बनाम मोहम्मद।

नवाज खान **2021** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 782;** केरल राज्य और अन्य। वी**.**राजेश

& ओआरएस। (2020) 12 एससीसी 122:[2020] 3 एस. सी. आर. 328; रिया

चक्रवर्ती बनाम भारत संघ और अन्र। **2020** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन बम **990;** यू**.** पी**.** राज्य बनामअमरमणि त्रिपाठी

(2005) 8 एससीसी 21:[2005] 3 पूरक।एससीआर 454; प्रशांत

कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और अन्र। **(2010) 14**

एससीसी 496:[2010] 12 एस. सी. आर. 1165; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश कुमार सिंह (2015) एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 1338-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

**[2020] 3** एससीआर **348**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8.2**

**[2005] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 454** पैरा **9.4 [2010] 12** एस**.** सी**.** आर**. 1165** पैरा **9.5** को संदर्भित

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 923।

2021 के सी. आर. एम. संख्या 3152 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.11.2021 के निर्णय और आदेश से।

आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुहान मुखर्जी, विशाल प्रसाद, अभिषेक मनचंदा, सायनदीप पहाड़ी, तन्मय सिन्हा, मेसर्स पी. एल. आर. चैम्बर्स एंड कंपनी। अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

विवेक नारायण शर्मा, सुश्री महिमा भारद्वाज, निखिल जायसवाल, अजय सिंह, सुधांशु खंडेलवाल, शुभम अवस्थी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

543

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

अनुमति दी गई

2. पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा यह अपील 2021 के सी. आर. एम. संख्या 3152 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 24.11.2021 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 1 की धारा 21 (बी)/29/27 ए के तहत अपराधों का आरोपी है, को जमानत बांड और जमानत के अलावा कुछ अतिरिक्त शर्तों के साथ जमानत पर बढ़ाने का आदेश दिया गया है।

3. हालाँकि, इस अपील में जमानत देने के आदेश की वैधता पर सवाल उठाया गया है और सभी विवादास्पद मुद्दों के अंतिम निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे सामने किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की प्रकृति और प्रत्यर्थी से संबंधित आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं का कुछ लंबा संदर्भ अनिवार्य है।4. इस अपील में जारी मामले की उत्पत्ति 2021 की एफ. आई. आर. संख्या 65 दिनांक 19.02.2021 में है, जो शुरू में धारा 21 (बी)/29 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन, कोलकाता में दर्ज की गई है। पंजीकरण संख्या वाली मोटरकार से 76 ग्राम कोकीन की बरामदगी के बाद। डब्ल्यू. बी. 06. पी./0233 तीन निवासियों के साथ, अर्थात् सोमनाथ चट्टोपाध्याय (सुरक्षा गार्ड), प्रबीर कुमार डे और पामेला गोस्वामी।हालाँकि, 23.02.2021 पर, प्रत्यर्थी राकेश सिंह उर्फ राकेश कुमार सिंह को इस मामले में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 27 ए के तहत अपराध से संबंधित आरोपों के साथ गिरफ्तार किया गया था, अर्थात, निषिद्ध पदार्थों में अवैध तस्करी का वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देना; और इन आरोपों के साथ कि उन्होंने प्रतिबंधित पदार्थ की खरीद कराई और फिर इसे उपरोक्त तीन व्यक्तियों द्वारा कब्जा किए गए वाहन में लगाया।

5. यह प्रत्यर्थी से संबंधित आरोप हैं जो इस अपील के विषय-वस्तु का मूल हैं।इस प्रकार, हम प्रत्यर्थी के खिलाफ अभियोजन मामले की मुख्य विशेषताओं पर निम्नानुसार ध्यान दे सकते हैं:

जी.

5.1.अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रत्यर्थी ने कथित प्रबीर कुमार डे और पामेला गोस्वामी को व्यक्तिगत द्वेष से एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों में गलत तरीके से फंसाने के लिए अन्य आरोपी सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रची थी।यह आरोप लगाया जाता है कि

एच.

1 इसके बाद इसे 'एन. डी. पी. एस. अधिनियम' भी कहा जाता है।



अपने मंसूबों को पूरा करते हुए, प्रत्यर्थी ने कोकीन, एक प्रतिबंधित दवा, की खरीद की गतिविधि के लिए रु। 8,50,000-सह-अभियुक्त अमृता सिंह @स्वीटी से; कि प्रत्यर्थी से निर्देश और भुगतान प्राप्त करने पर, उक्त सह-अभियुक्त अमृता सिंह @स्वीटी ने अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात्, डेम अख्तर और फरहान अहमद से प्रतिबंधित पदार्थ की खरीद की; और खरीद के बाद, सह-अभियुक्त अमृता सिंह @स्वीटी द्वारा प्रत्यर्थी को प्रतिबंधित पदार्थ सौंप दिया गया।

5.2.अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसके बाद प्रत्यर्थी ने सह-आरोपी अमृत राज सिंह को नियुक्त किया, जिसने उक्त प्रबीर कुमार डे और पामेला गोस्वामी को आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में न्यू अलीपुर क्षेत्र में एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता के साथ एक बैठक में भाग लेने के लिए लुभाया; और उक्त अमृत राज सिंह 18.02.2021 पर प्रत्यर्थी के घर गए और उन्हें प्रत्यर्थी के वाहन का उपयोग करते हुए भी देखा गया।

5.3.यह भी आरोप लगाया गया है कि 19.02.2021 पर उक्त प्रबीर कुमार डे और पामेला गोस्वामी ने अपने सुरक्षा गार्ड सोमनाथ चट्टोपाध्याय के साथ अमृत राज सिंह को अपने वाहन में उठाया और न्यू अलीपुर क्षेत्र में निर्धारित बैठक के लिए आगे बढ़े।घटना स्थल पर पहुंचने पर, अमृत राज सिंह अपने कपड़े बदलने के बहाने वाहन में रहे, जबकि प्रबीर कुमार डे, पामेला गोस्वामी और सोमनाथ चट्टोपाध्याय उतर गए।परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए, अमृत राज सिंह ने वाहन के विभिन्न हिस्सों में कोकीन छुपाई और प्रत्यर्थी को एक फोन नंबर

पर कॉल किया, जो जितेंद्र कुमार सिंह के नाम पर था।इसके बाद, अमृत राज सिंह प्रत्यर्थी के निर्देश पर स्कूटी पर भाग गए और फिर प्रत्यर्थी के आवास पर शरण ली।

5.4.जहां तक प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी और जब्ती का संबंध है, यह आरोप लगाया गया है कि विश्वसनीय स्रोत जानकारी के आधार पर, न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया था; और इस टीम ने पंजीकरण संख्या वाले उक्त वाहन को हिरासत में ले लिया। डब्ल्यूबी-06 पी/0233 ने वाहन से 76 ग्राम कोकीन जब्त की और वाहन में मौजूद उक्त तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।इस बरामदगी और जब्ती के आधार पर, एस. आई. सोमनाथ सरकार द्वारा न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन, कोलकाता के प्रभारी अधिकारी को दिनांकित एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी और उसके बाद, धारा 21 (बी) और 29 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए 2021 की उक्त एफ. आई. आर. संख्या 65 दर्ज की गई थी।इस लिखित शिकायत की कुछ सामग्री जो विचाराधीन प्राथमिकी की ओर ले जाती है, उनका अपना ए होगा।

जी.

एच.

545

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

इस मामले में आग्रह किए गए विवादों को ध्यान में रखते हुए।बाद में उचित समय पर इसका उल्लेख किया जाएगा।

5.5.अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20.02.2021 पर उक्त अमृत राज सिंह को प्रत्यर्थी के घर से बाहर निकलते देखा गया था।इसके अलावा, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मामले की अनुसंधान  जासूसी विभाग, लालबाजार, कोलकाता द्वारा की गई और संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध, कोलकाता ने ज्ञापन संख्या 1 के तहत विशेष अनुसंधान  दल 2 का गठन किया। CI/47/9/21।

5.6.यह भी बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 3 की धारा 160 के तहत धारा 67 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के साथ पठित एक नोटिस प्रत्यर्थी को जांच एजेंसी द्वारा जारी किया गया था जिसमें उससे अनुरोध किया गया था कि वह नारकोटिक्स सेल, 6 वीं मंजिल, के. आई. टी. भवन, कोलकाता में जांच अधिकारी के सामने 4 बजे 23.02.2021

पर पेश हो।00 पी. एम इस नोटिस को प्रत्यर्थी द्वारा 2021 का डब्ल्यू. पी. ए. संख्या 5448 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने सम तिथि के अपने आदेश से प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

5.7.यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थी उपरोक्त नोटिस के जवाब में उपस्थित होने में विफल रहा और इसलिए, पुलिस 12 ए ऑर्फनगंज रोड, पीएस वाटगंज, कोलकाता-23 में उसके आवास की तलाशी लेने गई, लेकिन पुलिस कर्मियों को सीआईएसएफ कर्मियों की बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने प्रत्यर्थी के बेटों के निर्देश पर प्रत्यर्थी के आवास में उनका प्रवेश अवरुद्ध कर दिया।अभियोजन पक्ष का मामला है कि प्रत्यर्थी अपने आवास पर नहीं मिल सका और उसके घर से सीसीटीवी फुटेज वाली एक हार्ड-डिस्क जब्त की गई थी, लेकिन फोरेंसिक जांच में यह पाया गया कि डेटा को वहां से हटा दिया गया था।हालाँकि, यह बताया गया है कि प्रत्यर्थी को पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्व बर्धमान के गलसी पुलिस स्टेशन में 11 बजे हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार किया गयाः29 23.02.2021 पर अपराह्न।

5.8.जहाँ तक 18.02.2021 और 19.02.2021 की घटनाओं से संबंधित उपरोक्त आरोपों का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने प्रत्यर्थी और उक्त अमृत राज सिंह के बीच हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड विवरण के साथ-साथ प्रत्यर्थी के पड़ोस में और अमृत राज सिंह के भागने के अन्य स्थानों पर दर्ज सीसीटीवी फुटेज का भी उल्लेख किया है।उक्त सह-अभियुक्त अमृत राज सिंह के प्रत्यर्थी का घर छोड़ने के तथ्य के संबंध में एक संजय सिंह के बयान का भी उल्लेख किया गया है।

जी.

2 'एस. आई. टी. ', संक्षेप में।3 'संक्षेप में सी. आर. पी. सी.।

एच.



5.9.अभियोजन पक्ष ने आगे एक गवाह मोहम्मद के बयान का उल्लेख किया है। नासिर खान ने धारा 161 सी. आर. पी. सी. के तहत आई. डी. 2 पर दर्ज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि आई. डी. 1 पर प्रत्यर्थी ने 2000 रुपये के नोटों का एक बंडल उक्त सह-आरोपी अमृता

सिंह @स्वीटी को सौंप दिया और उक्त सह-आरोपी ने प्रत्यर्थी को 7/8 छोटे पैकेट सौंपे। अभियोजन पक्ष ने मोहम्मद के बयान की पुष्टि में 28.02.2021 पर सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज एक अन्य गवाह निशात आलम उर्फ रुमान खान के बयान का भी उल्लेख किया है। नासिर खान, कोकीन के वित्तपोषण और खरीद के बारे में।इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत 30.03.2021 पर दर्ज इन दो गवाहों के बयानों का भी उल्लेख किया गया है।यह भी आरोप लगाया गया है कि 27.02.2021 पर, प्रतिवादी ने केंद्रीय तालाबंदी, लालबाजार के मानदंडों का पालन करने से इनकार कर दिया और सुरक्षाकर्मियों द्वारा मानदंडों का पालन करने का अनुरोध किए जाने पर, उसने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी; और यह कि एन. डी. पी. एस. अदालत के समक्ष पेश किए जाने पर, प्रत्यर्थी ने ओ. सी., स्वापक प्रकोष्ठ के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे धमकी दी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 353/506 के तहत अपराधों के लिए हरे स्ट्रीट पी. एस. मामला संख्या 69 दिनांक 10.03.2021 दर्ज किया गया और उसके संबंध में एक आरोप पत्र दायर किया गया है।

6. आगे बढ़ने से पहले, यह उपयोगी रूप से देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र 03.05.2021 पर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी और कई अन्य व्यक्तियों को आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जबकि यह भी कहा गया था कि मोटर कार में सवार उपरोक्त तीन लोगों के खिलाफ आरोप अनुसंधान  में साबित नहीं हुए थे।हमारे सामने पेश किए गए तथ्यों के अनुसार, मोटर कार में सवार उक्त तीन लोगों को आरोपमुक्त करने के लिए अभियोजन पक्ष की प्रार्थना ट्रायल कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

7. इस मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद, प्रत्यर्थी ने निचली अदालत के समक्ष जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया।प्रत्यर्थी द्वारा इस प्रकार दायर आवेदन पर विद्वान न्यायाधीश, विशेष न्यायालय द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम सह 4 वें ए. एस. जे., अलीपुर, दक्षिण 24 परगना के तहत 12.03.2021 पर विचार किया गया और खारिज कर दिया गया।इसके बाद, प्रत्यर्थी ने उक्त सी. आर. एम. नं. में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।3152 2021 का जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2021 के विवादित आदेश के माध्यम से विचार और अनुमति दी गई है।पारित करते समय, हम इस तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं कि उक्त जमानत याचिका लंबे समय से लंबित रहने के कारण, प्रत्यर्थी ने एसएलपी (सीआरएल) दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2021 का सं. 7282, जो 24.09.2021 पर तय किया गया था।इस अदालत ने, ज़ाहिर है, इनकार कर दिया

जी.

4 'आई. पी. सी. ', संक्षेप में।

एच.

547

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

इस तरह का कोई भी निर्देश जारी करें, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जमानत के लिए प्रार्थना 07.04.2021 के बाद से लंबित थी और वर्तमान प्रत्यर्थी को आशा और विश्वास व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष शीघ्र विचार के लिए प्रार्थना करने की अनुमति दी कि इस तरह के अनुरोध पर उचित विचार किया जाएगा।रिकॉर्ड के अनुसार, इसके बाद उच्च न्यायालय ने 07.10.2021 पर जमानत याचिका पर विस्तृत दलीलें सुनीं और 24.11.2021 पर विवादित आदेश सुनाया।

8. पृष्ठभूमि के पहलुओं पर ध्यान देने के बाद, अब विवादित आदेश की प्रासंगिक विशेषताओं को समझना सार्थक होगा, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने कुछ अतिरिक्त शर्तों पर जमानत के लिए अनुरोध को मंजूरी दे दी थी।

8.1.अभियुक्त-प्रत्यर्थी की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि मोटरकार में कथित सवार लोगों के कब्जे से 76 ग्राम कोकीन बरामद की गई थी और उसके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई थी; कि उसे सह-अभियुक्त उपरोक्त तीन व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर फंसाने की मांग की गई थी और उनके बयान साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं थे; कि मामले में धारा 37 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की कठोरता लागू नहीं थी क्योंकि मध्यवर्ती मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ शामिल था; कि प्रारंभिक अभियोजन मामला और आरोप पत्र में मामला मूल रूप से विपरीत था क्योंकि शुरू में, उक्त तीन व्यक्तियों को स्रोत जानकारी पर गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने बताया कि कार में कहाँ अवैध पदार्थ थे।8.2.दूसरी ओर, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

जी.

बड़े पैमाने पर समाज पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव; कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी एक मादक पदार्थ गिरोह का सरगना था जो न तो सामने आता था और न ही किसी खुले कार्य में लिप्त होता था, बल्कि पर्दे के पीछे से तार खींचता था; कि धारा 27 ए एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी और इसलिए, धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम के प्रतिबंध आकर्षित किए गए थे; कि मादक पदार्थ बेचने वाले गिरोह के प्रमुख के रूप में अभियुक्त-प्रत्यर्थी की संलिप्तता और भागीदारी उक्त तीन कार सवारों के अलावा विभिन्न अन्य गवाहों के बयानों से विधिवत साबित की गई थी, जिसमें मो. नासिर खान और निशात आलम उर्फ रुमान खान ने धारा 164 सी. आर. पी. सी. के तहत दर्ज किया कि प्रतिवादी ने पटना भागने की कोशिश की थी; कि आरोपी-प्रतिवादी उसके खिलाफ 53 आपराधिक मामलों के साथ एक हिस्ट्रीशीटर था और उसकी जमानत पहले रद्द कर दी गई थी जब उसने मामले के जांच अधिकारी और अभियोजन पक्ष के गवाहों को अदालत कक्ष के बाहर धमकी दी थी, जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम के मामले में बताया गया है।

राकेश कुमार सिंहः2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 1338; कि अभियुक्त -

प्रत्यर्थी एक प्रभावशाली व्यक्ति था और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी देने की संभावना थी; कि क्या धारा 42 एन. डी. पी. एस. अधिनियम का पालन किया गया था या नहीं, यह एक सवाल था जिसे मुकदमे के दौरान उठाया जाना था, न कि जमानत आवेदन की सुनवाई के चरण में, जैसा कि इस न्यायालय ने भारत संघ के मामले में कहा था।

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, लखनऊ बनाम मो. नवाज खानः

2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 782; और अपनी आवाज़ का नमूना एकत्र करने के लिए जाँच एजेंसी के प्रयास के प्रति प्रत्यर्थी का प्रतिरोध उसके अपराध की ओर इशारा करता है।विद्वान महाधिवक्ता ने केरल राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया।राजेश और ओआरएसः(2020) 12 धारा 37 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की कठोरता के संचालन के संबंध में एस. सी. सी. 122।

8.3.प्रतिद्वंद्वी की दलीलों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह राय बनाई कि धारा 37 एन. डी. पी. एस. अधिनियम का प्रतिबंध इस मामले पर लागू नहीं होगा और प्रत्यर्थी जो 23.02.2021 के बाद से हिरासत में था, कड़ी शर्तों के साथ जमानत देने के योग्य है।तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-प्रतिवादी को बढ़ी हुई शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दियाः(क) वह पचास हजार रुपये की चार प्रतिभूतियों के साथ एक लाख रुपये की राशि का मुचलका प्रस्तुत करेगा, जिनमें से दो स्थानीय व्यक्ति होने चाहिए; (ख) वह सप्ताह में एक बार संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा; (ग) वह निचली अदालत की पूर्व अनुमति के बिना पश्चिम बंगाल राज्य से बाहर यात्रा नहीं करेगा; और (घ) वह निचली अदालत क के समक्ष अपना पासपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

जी.

एच.

549

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

तुरंत।इस मामले में की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय की चर्चा और तर्क के प्रासंगिक भाग पर निम्नानुसार ध्यान दे सकते हैंः-

“4. हमने दलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है।हमने राज्य की ओर से दायर साक्ष्य के ज्ञापन में सामग्री का भी अध्ययन किया है।

5. कुछ बातें स्पष्ट हैं।सबसे पहले, याचिकाकर्ता के भौतिक कब्जे से निषिद्ध वस्तुओं की कोई बरामदगी नहीं हुई थी।याचिकाकर्ता के व्यक्ति या किसी भी स्थान से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था जिस पर याचिकाकर्ता का अनन्य नियंत्रण था।हम इस बात से अवगत हैं कि किसी व्यक्ति के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ की केवल गैर-वसूली एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 की कठोरता को कम नहीं कर सकती है।

6. हालाँकि, यह मानते हुए भी कि याचिकाकर्ता का निषिद्ध पदार्थ पर प्रभुत्व या नियंत्रण था, स्वीकार्य रूप से मध्यवर्ती मात्रा (76 ग्राम) कोकीन जब्त की गई थी।राज्य की ओर से यह आग्रह किया गया था कि गवाहों के बयानों से संकेत मिलेगा कि याचिकाकर्ता प्रतिबंधित वस्तुओं का नियमित खरीदार था।हालांकि, तथ्य यह है कि वर्तमान मामले में केवल 76 ग्राम कोकीन शामिल है।जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सामी उल्ला (सुप्रा) के मामले में

कहा, जहां मध्यवर्ती मात्रा में मादक पदार्थ शामिल हैं, जमानत देने से संबंधित एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों की कठोरता को लागू करना उचित नहीं हो सकता है।

7. तीसरा, कोकीन की जब्ती प्रबीर, सोमनाथ और पामेला से हुई थी जैसा कि जब्ती सूची से दिखाई देगा।19 फरवरी, 2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उन तीन व्यक्तियों को आरोपी के रूप में नामित किया गया है।हालाँकि आरोप पत्र में उनका नाम नहीं है।अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से बदल गया है जो प्राथमिकी दर्ज करने के समय था। आरोप पत्र की कहानी पूरी तरह से अलग है।जबकि अभियोजन पक्ष का मामला शुरू में यह था कि मोटर कार में रोके गए प्रबीर, सोमनाथ और पामेला से प्रतिबंधित वस्तु की बरामदगी की गई थी, आरोप पत्र में कहानी यह है कि याचिकाकर्ता ने मोटर कार में प्रतिबंधित वस्तु लगाई थी जिसमें वे तीन व्यक्ति किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने के लिए उन्हें मुसीबत में डालने के लिए यात्रा कर रहे थे।प्रथम दृष्टया, यह अभियोजन मामले की सत्यता के संबंध में हमारे मन में काफी संदेह पैदा करता है।



8. चौथा, जहां तक एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 27 ए के तहत अपराध का संबंध है, यानी अवैध तस्करी का वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देना, प्रथम दृष्टया हमें उस आरोप का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है।हमारे विचार में, प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित एक एकल लेनदेन में शामिल होना मादक पदार्थों में अवैध व्यापार के वित्तपोषण के बराबर नहीं होगा।"तस्करी" शब्द का अर्थ निरंतर प्रवाह है।इससे पहले कि किसी व्यक्ति को मादक पदार्थों की तस्करी कहा जा सके, मादक पदार्थों के लेन-देन में कुछ हद तक निरंतरता और नियमितता होनी चाहिए।इसी तरह, अवैध यातायात के वित्तपोषण का मतलब अनिवार्य रूप से नियमित या निरंतर आधार पर ऐसा करना होगा।यह एक अवसर पर प्रतिबंधित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से कहीं अधिक है।इस तरह का एकल लेनदेन, हमारी प्रथम दृष्टया राय में, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 ए की शरारत के

दायरे में नहीं आएगा। इस संबंध में, कोई भी आपराधिक जमानत में 7 अक्टूबर, 2020 को दिए गए बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकता है।

**2020** का आवेदन **(**डाक टिकट**)** संख्या **2386 (**रेहा चक्रवर्ती बनाम भारत संघ राज्य महाराष्ट्र**)**।

9. पाँचवाँ, हम यह भी देखते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित 53 आपराधिक मामलों में से कोई भी एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं है। हालाँकि याचिकाकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि है, लेकिन याचिकाकर्ता का एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में नशीले पदार्थों का सौदा करने का कोई इतिहास नहीं है।

10. प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पहले एनडीपीएस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है। 11.जहां तक राज्य के इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता उस रात फरार होने की कोशिश कर रहा था जब उसे गिरफ्तार किया गया था, तो प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ दिया जा सकता है कि वह फरार होने के उद्देश्य से पटना नहीं जा रहा था।चूँकि उनकी आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं था, केवल इस तथ्य से कि वे पटना की ओर बढ़ रहे थे, यह आवश्यक रूप से संकेत नहीं दे सकता है कि वे भागने की कोशिश कर रहे थे।

12. जहां तक आवाज का नमूना प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता की अनिच्छा का संबंध है, हमें नहीं लगता कि इस तरह का इनकार याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करने का आधार होगा, जब रिकॉर्ड पर सामग्री के समग्र मूल्यांकन पर और लागू कानून पर विचार करने पर, हमारा प्रथम दृष्टया विचार है कि याचिकाकर्ता के पास मुकदमे में बरी होने के लिए एक उचित तर्क योग्य मामला हो सकता है।याचिकाकर्ता का ए से इनकार

जी.

एच.

551

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

आवाज का नमूना प्रस्तुत करें, मुकदमे में उसके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या नहीं भी पड़ सकता है, लेकिन हम इस स्तर पर उससे चिंतित नहीं हैं।

13. हम एन. डी. पी. एस. अधिनियम के हितकारी उद्देश्य के बारे में सचेत हैं और हमने माननीय के निर्णय को उचित सम्मान दिया है।

केरल राज्य बनाम राजेश, (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि प्रतिबंधित मादक पदार्थों और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त व्यक्तियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर समाज पर व्यापक हानिकारक प्रभाव पड़ता है।समाज के अनगिनत सदस्य, जो अक्सर कम उम्र के होते हैं, नशीली दवाओं के तस्करों की जघन्य और नापाक गतिविधियों का शिकार हो जाते हैं।हालाँकि, प्रत्येक मामले में निर्णय मामले के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए और तथ्यों के दिए गए समूह पर कानून के किसी भी सिद्धांत को अंधाधुंध रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।वर्तमान मामले के तथ्यों में, अभिलेख पर सामग्री के मूल्यांकन पर, हमारा प्रथम दृष्टया मानना है कि याचिकाकर्ता ने वह अपराध नहीं किया होगा जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पिछले इतिहास पर विचार करते हुए, जिसे हमने ऊपर बताया है, यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि जमानत पर रहते हुए उसके एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने की संभावना है।

14. वनाच्छादित कारणों से हमारा विचार है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 में प्रतिबंध लागू नहीं होगा।कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता और अभिलेख पर सामग्री का आकलन करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता 23 फरवरी, 2021 से हिरासत में है, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता जमानत के लिए योग्य है लेकिन कड़ी शर्तों पर।15. तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता, अर्थात् राकेश,

सिंह @राकेश कुमार सिंह को जमानत पर रिहा किया जाएगा।

रुपये का बांड प्रस्तुत करना। 1,00,000-, रुपये की चार प्रतिभूतियों के साथ। 50, 000/- प्रत्येक, जिनमें से दो स्थानीय होने चाहिए, एन. डी. पी. एस. अधिनियम, अलीपुर, दक्षिण 24 परगना के तहत विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए और आगे की शर्त पर कि वह अगले आदेश तक सप्ताह में एक बार संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।याचिकाकर्ता अगले आदेश तक सुनवाई की हर तारीख को निचली अदालत के समक्ष पेश होगा और गवाहों को डराएगा नहीं और/या किसी भी तरह से

सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।वह निचली अदालत की पूर्व अनुमति के बिना पश्चिम बंगाल से बाहर यात्रा नहीं करेगा और अपना पासपोर्ट सौंप देगा।

जी.

एच.



विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष तुरंत।याचिकाकर्ता आगे की अनुसंधान , यदि कोई हो, के मामले में अनुसंधान  प्राधिकरण के साथ पूरा सहयोग करेगा।

16. यदि याचिकाकर्ता उचित कारण के बिना ऊपर निर्धारित किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो निचली अदालत इस अदालत को आगे भेजे बिना कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।"

9. विवादित आदेश को चुनौती देने की कोशिश में, अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस दावे के साथ कई प्रकार की दलीलें दी गई हैं कि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और उस पर लागू कानून के सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए प्रत्यर्थी को गलती से जमानत दे दी है।

9.1.विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों और पृष्ठभूमि पहलुओं का उल्लेख किया है और तर्क दिया है कि, अनुसंधान  में एकत्र किए गए और आरोप पत्र में प्रस्तुत किए गए सभी सबूतों के लिए, स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित पदार्थों की अवैध तस्करी के वित्तपोषण और अपराधी को शरण देने की साजिश का मामला, जो धारा 27 ए एनडीपीएस अधिनियम के संदर्भ में दंडनीय है, प्रत्यर्थी के खिलाफ बनाया गया है।यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी ने साजिश को आगे बढ़ाते हुए कोकीन की खरीद की गतिविधि का वित्तपोषण किया। सह-अभियुक्त अमृता सिंह @स्वीटी के माध्यम से 8.50 लाख; फिर, एक अन्य सह-अभियुक्त अमृत राज सिंह को नियुक्त किया, जिसने उक्त पामेला गोस्वामी और प्रबीर कुमार डे को एक राजनीतिक नेता से मिलने का लालच दिया और उनके वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ लगाया, और प्रतिबंधित पदार्थ लगाने के बाद, प्रत्यर्थी को काम के निष्पादन के बारे में सूचित किया और प्रत्यर्थी के आवास पर शरण लेने के लिए मौके से भाग गया।विद्वान अधिवक्ता  के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्यर्थी ने रुपये की कोकीन की खरीद की गतिविधि को वित्तपोषित किया था। सह-अभियुक्त अमृता सिंह @स्वीटी के माध्यम से 8.50 लाख रुपये और फिर अपराधी

अमृत राज सिंह को शरण दी; और प्रत्यर्थी के खिलाफ इस अभियोजन मामले का गवाहों मोहम्मद के बयानों द्वारा विधिवत समर्थन किया जाता है। नासिर खान और निशात आलम उर्फ रुमान खान ने धारा 161 सीआरपीसी के साथ-साथ धारा 164 सीआरपीसी के तहत भी रिकॉर्ड किया और घटना से पहले और बाद में सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है।विद्वान अधिवक्ता  यह तर्क देंगे कि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं करने और यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर गलती की है कि धारा 37 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत प्रतिबंध प्रत्यर्थी पर लागू नहीं होंगे, जबकि इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि यह प्रावधान सी. आर. पी. सी. की आवश्यकताओं के अलावा काम करता है।

जी.

एच.

553

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

9.2.विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि प्रतिबंधित पदार्थ रखने की अनुपस्थिति धारा 37 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच को दोषमुक्त नहीं करती है, जैसा कि इस न्यायालय ने मो. नवाज खान (ऊपर)।विद्वान अधिवक्ता  के अनुसार, उच्च न्यायालय इस विचार पर आगे बढ़ा है कि प्रत्यर्थी से कोई वसूली नहीं हुई थी; कि वसूली मध्यवर्ती मात्रा की थी; और अभियोजन का प्रारंभिक मामला बदल गया है, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि पामेला गोस्वामी और प्रबीर कुमार डे की गिरफ्तारी के बाद, जिनके साथ कोकीन पाई गई थी, अनुसंधान  से पता चला है कि यह सब प्रत्यर्थी के कहने पर उन्हें फंसाने की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।

9.3.यह दोहराते हुए कि धारा 27 ए एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक स्पष्ट मामला बनाया गया है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय

रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ के मामले में अदालत का संदर्भ

**&** अन्र:**2020** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन बम **990** अभी भी खोया हुआ है

क्योंकि, उस निर्णय में भी, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वित्तपोषण किसी विशेष गतिविधि को चालू या बनाए रखने के लिए है।9.4.एक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी के आचरण पर भी सवाल उठाया है कि 23.02.2021 पर 2021 के WPA संख्या 5448 को खारिज करने के बाद भी, वह 04 पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने में विफल रहा:00 शाम को; अपने आवास पर अनुपलब्ध रहे; और अंत में 11 बजे पूर्व बर्धमान में गिरफ्तार किया गया:29 पी. एम विद्वान अधिवक्ता  यू. पी. बनाम राज्य के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करेगा।अमरमणि त्रिपाठी:(2005) 8 एस. सी. सी. 21, कि प्रत्यर्थी ने फरार होने या भागने की प्रवृत्ति दिखाई है और इसलिए, जमानत के भोग के योग्य नहीं है।9.5.इसके अलावा, प्रशांत के मामले में निर्णय के संदर्भ में

कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और अन्र:(2010) 14 एससीसी 496, द

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी का पश्चिम बंगाल राज्य में काफी राजनीतिक प्रभाव है और इस बात की उचित आशंका बनी हुई है कि वह गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अपनी शक्ति और स्थिति का उपयोग कर सकता है और ऐसे आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते समय इन पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

जी.

9.6.विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि प्रत्यर्थी पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में 53 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और इसका इतिहास रहा है

एच.



लोक सेवकों को धमकी देना।यह विशेष रूप से बताया गया है कि वर्ष 2015 में, प्रत्यर्थी ने जांच अधिकारी को धमकी देने और सरकारी दस्तावेजों को छीनने का प्रयास किया, जिसके

परिणामस्वरूप हरे स्ट्रीट पीएस केस नंबर 108 दिनांक 19.02.2015 हुआ, जहां उसे अंततः दोषी ठहराया गया।इसे आगे इंगित किया गया है, संदर्भ के साथ

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश कुमार सिंह के मामले में आदेशः

(2015) एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 1338, कि हिरासत में भी, उसने पुलिस अधिकारियों को धमकी दी थी।यह अभी तक प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी ने केंद्रीय तालाबंदी, लालबाजार के मानदंडों का पालन करने से इनकार कर दिया और ऐसा करने का अनुरोध किए जाने पर, उसने सुरक्षाकर्मियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी; उसने हमला करने की भी कोशिश की और फरार होने का प्रयास किया; और फिर भी, एनडीपीएस अदालत के समक्ष पेश किए जाने पर, उसने ओसी, नारकोटिक्स सेल को गाली-गलौज और धमकी देकर उसके साथ हाथापाई की, जिसके परिणामस्वरूप हरे स्ट्रीट पीएस केस नं। भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 353 और 506 के तहत अपराधों के लिए दिनांक 69 10.03.2021।

10. इस मामले में, हमने 18.05.2022 पर पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना था। प्रस्तुतियों के दौरान, कुछ प्रश्न सामने आए, विशेष रूप से मोटरकार के उक्त तीन सवारों की स्थिति के संबंध में और क्या उनका कोई बयान दर्ज किया गया था और साथ ही प्रत्यर्थी के खिलाफ लंबित मामलों के विवरण के बारे में भी।परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले को समाप्त करते समय, हमने पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता को उनके द्वारा पहले से ही प्रस्तुत किए गए प्रस्तुत किए गए नोटों और दस्तावेजों के अलावा, उनके प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर पूरक लिखित नोट दाखिल करने की अनुमति दी।तदनुसार, अपीलकर्ता-राज्य की ओर से, अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ पूरक लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की गई हैं।

10.1.उक्त पूरक प्रस्तुतियों और दस्तावेजों के माध्यम से, यह दावा किया गया है कि 22.02.2021 पर विशेष अनुसंधान दल के गठन के बाद, मोटर कार में सवार उक्त तीन लोगों के सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए गए थे, जिससे प्रत्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत प्रतिशोध से उन्हें फंसाने के लिए की गई आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ।इन तीन व्यक्तियों के बयान, जिनके बारे में कहा जाता है कि एस. आई. टी. द्वारा दर्ज किए गए हैं, इन पूरक लिखित प्रस्तुतियों के साथ संलग्न किए गए हैं, जिसमें उक्त प्रबीर कुमार डे और पामेला गोस्वामी ने अपने व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख किया है और साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा पामेला गोस्वामी के साथ संबंध बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया है और जब यह मामला उनके राजनीतिक दल के उच्च अधिकारियों को बताया गया तो प्रत्यर्थी क्रोधित हो गया था और वह ए.

जी.

एच.

555

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आगाह किया गया।यह आरोप लगाया गया है कि ऐसी घटनाओं के बाद, प्रत्यर्थी ने उसे और प्रबीर कुमार डे को आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी।इसके अलावा, उन बयानों के अनुसार, अमृत राज सिंह मोटर कार में उनके साथ थे, जैसा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में बताया गया है।यह भी बताया गया है कि कैसे अमृत राज सिंह ने चालक को एक विशेष स्थान पर वाहन रोकने के लिए कहा; अन्य सवारों को नीचे उतरने के लिए कहा और वह अपनी शर्ट बदलने और कवर कोट पहनने के बहाने कुछ समय के लिए वाहन के अंदर रहा; और उसके नीचे उतरने के कुछ ही मिनटों के भीतर, पुलिस कर्मियों ने वाहन को घेर लिया और फिर, वाहन के अंदर विभिन्न स्थानों पर प्लास्टिक के पैकेट पाए, जबकि अमृत राज सिंह भागने में सफल रहे।

10.2.अपीलार्थी की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त तीन व्यक्तियों को अभी तक आरोपमुक्त नहीं किया गया है और आरोपमुक्त होने की स्थिति में, उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह के रूप में उद्धृत किया जाएगा।10.3.जहां तक प्रत्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि का संबंध है, उसके खिलाफ आपराधिक मामलों की एक सूची भी हमारे सामने रखी गई है, जिसमें कहा गया है कि उसके खिलाफ 51 मामले लंबित हैं और दो मामलों में उसे दोषी ठहराया गया है, जिसमें आपराधिक धमकी और पुलिस कर्मियों को गलत तरीके से रोकने के आरोप थे।

10.4.इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोपों की प्रकृति और प्रत्यर्थी के आचरण को देखते हुए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है और विवादित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।11. अपीलार्थी राज्य की ओर से इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों का प्रतिवाद प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता  द्वारा विवादित आदेश का समर्थन करते हुए और इस बात पर जोर देते हुए किया गया है कि प्रत्यर्थी को इस मामले में एक मनगढ़ंत कहानी और तथ्यों को विकृत करने के साथ तैयार करने की मांग की गई है।

11.1.विद्वान अधिवक्ता  ने उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे गए पांच प्रमुख कारकों का उल्लेख किया है, अर्थात्, केवल मध्यवर्ती मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ शामिल थे; कि धारा 27 ए एनडीपीएस अधिनियम प्रत्यर्थी की भागीदारी से संबंधित प्रथम दृष्टया साक्ष्य की कमी के कारण आकर्षित नहीं किया गया था; कि प्रत्यर्थी का मादक पदार्थों में लेनदेन करने का कोई इतिहास नहीं था; कि प्रत्यर्थी के भौतिक या सचेत कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई थी; और कि राज्य द्वारा आरोप पत्र में प्राथमिकी मामले को पूरी तरह से बदल दिया गया है, जिससे अभियोजन मामले की सत्यता के बारे में काफी संदेह पैदा होता है।विद्वान अधिवक्ता  प्रस्तुत करेगा कि विवादित आदेश, इस प्रकार, आगे बढ़ता है

जी.

एच.



वैध विचारों पर और फिर भी, उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय काफी सख्त शर्तें लगाई हैं, जिनका प्रत्यर्थी द्वारा पालन किया जा रहा है।इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता  के अनुसार, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

11.2.विद्वान अधिवक्ता  ने फिर से उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं का संदर्भ दिया है और दृढ़ता से तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी के खिलाफ साजिश के आरोपों के समर्थन में भौतिक गवाहों ने कथित रूप से पुलिस को क्रमशः 27.02.2021 और 28.02.2021 पर अपने बयान दिए। यह स्थिति होने के कारण, 22.02.2021 पर, जब प्रत्यर्थी को नोटिस दिया गया था, तो अनुसंधान  एजेंसी के पास उसे वर्तमान मामले से जोड़ने के लिए कोई सामग्री नहीं थी और उसे बुलाने का कोई कारण नहीं था।विद्वान अधिवक्ता  ने यह तर्क देने का भी प्रयास किया है कि राज्य द्वारा गठित एस. आई. टी. के सदस्यों में से एक ने पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ झूठी शिकायत करने की कोशिश की थी।यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी को बिना किसी सामग्री के बुलाया गया था और तब भी जब अनुसंधान  में शामिल होने का समय 04 बजे निर्धारित किया गया थाः00 अपराह्न, राज्य पुलिस ने 1 बजे प्रत्यर्थी के घर पर छापा माराः30 दोपहर में और अवैध तलाशी ली, हालांकि प्रत्यर्थी के घर/कार्यालय से कोई प्रतिबंधित वस्तु बरामद नहीं हुई।

11.3.2021 की एफ. आई. आर. संख्या 65 से उत्पन्न मामले की उत्पत्ति और उक्त तीन व्यक्तियों द्वारा कब्जा की गई मोटरकार से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया है कि शिकायत के अनुसार, उक्त सवारों ने मोटरकार में उस स्थान की ओर इशारा किया था जहां कोकीन छुपाई गई थी और यह तथ्य स्वयं अभियोजन पक्ष के मामले के संबंध में काफी संदेह को जन्म देता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त सवारों की जानकारी के बिना मोटरकार में कोकीन छिपा रहा है।दी गई परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि अभियोजन पक्ष का मामला प्राथमिकी दर्ज करने के समय की तुलना में पूरी तरह से बदल गया है, को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आरोप लगाने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत भी नहीं है कि प्रत्यर्थी ने उक्त तीन सवारों की मोटर कार में प्रतिबंधित पदार्थ लगाया था, जो इस मामले में मुख्य आरोपी व्यक्ति हैं।

जी.

11.4.उक्त गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की शुद्धता पर सवाल उठाने के अलावा मो. नासिर खान और निशात आलम उर्फ रुमान खान, विद्वान अधिवक्ता ने बताया है कि वे दोनों एक बलात्कार मामले में दोषी हैं और वे वर्तमान मामले से संबंधित घटना से केवल 2-3 महीने पहले जेल से बाहर आए थे।इसके अलावा, ए

एच.

557

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यहां तक कि उनके बयानों को अंकित मूल्य पर लेते हुए भी, धारा 27 ए के तहत आरोप आकर्षित नहीं होगा क्योंकि यह एकतरफा लेनदेन है और इसका उद्देश्य बदला लेना है न कि नशीली दवाओं की तस्करी।विद्वान अधिवक्ता ने विस्तार से बताया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 27 ए की शरारत को आकर्षित करने के लिए, नियमित रूप से कुछ करना चाहिए और इसके तहत एक एकल लेनदेन शामिल नहीं है; और यह इस तथ्य के साथ जोड़ा गया है कि प्रत्यर्थी से या किसी भी स्थान से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था जिस पर उसका अनन्य नियंत्रण था।

11.5.यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी के फरार होने का कोई सवाल ही नहीं था, बल्कि उसने नोटिस का विधिवत जवाब दिया था और वास्तव में, अपना स्थान भी दिया था। इस प्रकार, पुलिस को उसके स्थान के बारे में अच्छी तरह से पता था और इसलिए, वे जब चाहें उसे गिरफ्तार कर सकते थे।11.6.जहां तक प्रत्यर्थी के खिलाफ मामलों का संबंध है, यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी एक प्रसिद्ध राजनीतिक दल का नेता है और उसके खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा ही काफी संख्या में मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन ऐसे किसी भी मामले में प्रत्यर्थी एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित अपराधों में शामिल नहीं था।

11.6.1.यह भी प्रस्तुत किया गया है कि हरे स्ट्रीट पीएस केस नंबर 108 दिनांक 19.02.2015 में, प्रत्यर्थी को केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के तहत दोषी ठहराया गया था और दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील लंबित है और सजा को निलंबित कर दिया गया है।यह भी बताया गया है कि एसएलपी (सीआरएल) जमानत रद्द करने के आदेश के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा दायर 2015 का सं. 5053 भी लंबित है, जिसमें इस न्यायालय ने जमानत रद्द करने के खिलाफ अंतरिम राहत दी है।

11.6.2.यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पूरा मामला एक मनगढ़ंत है और रिकॉर्ड में कोई जोड़ने वाली सामग्री उपलब्ध नहीं है।जहां तक प्रत्यर्थी के आवास के सीसीटीवी फुटेज की हार्ड-डिस्क से डेटा को हटाने के आरोपों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी से ऐसी कोई हार्ड-डिस्क बरामद नहीं की गई थी।

11.7.अपीलार्थी की ओर से की गई पूरक प्रस्तुतियों का भी प्रत्यर्थी की ओर से आगे की पूरक प्रस्तुतियों के साथ प्रतिवाद किया गया है, जिसमें यह दोहराया गया है कि प्राथमिकी के अनुसार, मोटरकार के उक्त तीन सवारों ने बताया कि प्रतिबंधित पदार्थ (कोकीन) को वाहन में कहाँ छुपाया गया था।जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उक्त तीन अधिभोगियों के कथित बयानों का संबंध है, यह तर्क दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की ओर से पूरक लिखित प्रस्तुतियों के साथ संलग्न तीन बयान

जी.

एच.

राज्य न तो आरोप-पत्र में था और न ही निचली अदालत के रिकॉर्ड में।इसके विपरीत, 19.02.2021 पर दर्ज पामेला गोस्वामी का एक बयान प्रत्यर्थी की ओर से संलग्न किया गया है, जिसमें उसने कथित रूप से ड्रग्स डीलर होने की बात स्वीकार की है और यह प्रस्तुत किया गया है कि यह आरोप पत्र का एक हिस्सा है।यह भी आरोप लगाया गया है कि ज़ब्ती से 10 महीने पहले, पामेला गोस्वामी के पिता ने पुलिस आयुक्त, कोलकाता को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रबीर कुमार डे ने पामेला गोस्वामी को नशीली दवाओं का आदी बना दिया था।इसके अलावा, सह-आरोपी अमृता सिंह @स्वीटी को जमानत देते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 06.01.2022 आदेश में की गई टिप्पणियों को भी संदर्भित किया गया है।

11.8.यह फिर से कहा गया है कि प्रत्यर्थी के खिलाफ अवैध तस्करी के वित्तपोषण के आरोप नहीं बनाए गए हैं और न ही अपराधियों को शरण देने का कोई मामला बनाया गया है।रिया चक्रवर्ती (उपरोक्त) के मामले में निर्णय पर भरोसा किया गया है।

12. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार किया है और हमारे सामने रखी गई सामग्री को स्कैन किया है।

13. पहली बार में, कुछ कारक प्रत्यर्थी के खिलाफ काम करते दिखाई देते हैं और यह संदिग्ध प्रतीत होता है कि क्या प्रत्यर्थी इस मामले में जमानत देने का हकदार था, विशेष रूप से तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि:(क) आरोप अनिवार्य रूप से निषिद्ध पदार्थों की तस्करी के वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देने का भी है, जो धारा 27 ए एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित है और जिसके लिए धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम की कठोरता लागू होती है; (ख) आरोप प्रथम दृष्टया साक्ष्य द्वारा समर्थित है, जिसमें गवाहों के बयान के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज और कॉल डेटा रिकॉर्ड भी शामिल हैं; (ग) 23.02.2021 पर, भले ही प्रत्यर्थी ने उसे 04 पर पेश होने के लिए बुलाए गए नोटिस पर सवाल उठाने का प्रयास किया:00 पी. एम. और उच्च न्यायालय ने उसकी रिट याचिका खारिज कर दी, लेकिन वह पेश नहीं हुआ और उसे रात में बाद में किसी दूर के स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया; (डी) अभियोजन पक्ष ने दिखाया है कि प्रत्यर्थी 53 आपराधिक मामलों में शामिल था और उसे उनमें से कम से कम दो में दोषी ठहराया गया है; और (ई) अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि इस विशेष मामले के संबंध में भी, प्रत्यर्थी को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 353 से संबंधित अपराध के लिए अलग से आरोप पत्र दायर किया गया था और उसने कानून लागू करने वाली एजेंसियों और कर्मियों को धमकी देने का प्रयास किया है।

जी.

13.1.हालाँकि, इस मामले की मुख्य और मुख्य विशेषताओं पर एक व्यापक नज़र हमें ए द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है।

एच.

559

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

उच्च न्यायालय को मामले के संभावित दृष्टिकोण के रूप में, विशेष रूप से अभियोजन मामले पर संदेह के संबंध में और परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी की मिलीभुगत के खिलाफ विश्वास करने के लिए एक उचित आधार के रूप में।

14. धारा 27 ए एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप अनिवार्य रूप से अभियोजन पक्ष की कहानी पर आधारित है कि प्रत्यर्थी ने मोटरकार के उक्त दो सवारों, प्रबीर कुमार डे और पामेला गोस्वामी के खिलाफ दुर्भावना रखते हुए, उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम के मामले में फंसाने की साजिश रची और उसके अनुसरण में, सह-आरोपी अमृता सिंह @स्वीटी के माध्यम से मादक पदार्थ प्राप्त किया, उसी के लिए भुगतान करने के बाद; अन्य सह-आरोपी अमृत राज सिंह के माध्यम से उक्त मोटरकार में निषिद्ध पदार्थ लगाया; और रोपण की घटना से पहले और बाद में अमृत राज सिंह को आश्रय दिया।उक्त गवाहों के बयानों के साथ इस कहानी का समर्थन और मजबूती प्रदान करने की मांग की गई है। नासिर खान और निशात आलम @रूमान खान, जैसा कि क्रमशः 27.02.2021 और 28.02.2021 पर धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया है और साथ ही 30.03.2021 पर दर्ज धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उनके बयान भी।

14.1.हालाँकि, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि गवाहों के उपरोक्त बयान उच्च न्यायालय के विचार में नहीं गए हैं, लेकिन विवादित आदेश पर बारीकी से नज़र डालने से यह स्पष्ट होता है कि उसके पैराग्राफ 7 में, उच्च न्यायालय ने देखा है कि प्रारंभिक प्राथमिकी में क्या था और आरोप पत्र में क्या सुझाव दिया गया था; और पाया है, प्रथम दृष्टया, कि आरोप पत्र में प्रत्यर्थी के बारे में कहानी, मोटरकार में प्रतिबंधित वस्तु लगाए जाने के बारे में

थी जिसमें उक्त तीन व्यक्ति व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उन्हें मुसीबत में डालने के लिए यात्रा कर रहे थे, काफी संदेह का विषय था।उच्च न्यायालय ने, और हमारे विचार में, उचित रूप से, साक्ष्य की सभी विशेषताओं पर विस्तार से नहीं बताया है ताकि प्रासंगिक पहलुओं को मुकदमे के लिए खुला छोड़ दिया जा सके।हालाँकि, हमारे सामने पेश की गई दलीलों को देखते हुए, यह देखा जा सकता है कि वर्तमान स्तर पर, प्रत्यर्थी की ओर से इस तर्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यदि उक्त दो गवाहों के ऐसे बयान 27.02.2021 और 28.02.2021 पर दर्ज किए गए थे, तो जाँच एजेंसी के पास उसे 22.02.2021 पर बुलाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी।यह इस तथ्य के अलावा है कि उक्त दो गवाहों के बयान, प्रथम दृष्टया कुछ उचित प्रश्नों को जन्म देते हैं कि उन्हें साथी के रूप में क्यों रखा गया था, जबकि प्रत्यर्थी और सह-आरोपी अमृता सिंह ने कथित रूप से प्रतिबंधित और मुद्रा के आदान-प्रदान के साथ कथित गुप्त सौदों को अंजाम दिया था?

जी.

एच.



15. प्रत्यर्थी की दलीलों के उक्त हिस्से के जवाब में कि अभियोजन पक्ष के पास उसे 22.02.2021 पर बुलाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, अपीलार्थी की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि मोटरकार में सवार उक्त तीन लोगों ने अपने बयान दिए जो धारा 161 सी. आर. पी. सी. के तहत दर्ज किए गए थे और उन बयानों ने प्रत्यर्थी की दुश्मनी की पृष्ठभूमि के साथ-साथ सह-अभियुक्त अमृत राज सिंह के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ लगाकर नियोजित कार्यप्रणाली को भी बताया।मोटर गाड़ी में सवार लोगों के उक्त तीन बयानों के संबंध में प्रत्यर्थी की ओर से गंभीर आपत्तियां उठाई गई हैं, जिसमें कहा गया है कि वे आरोप पत्र का हिस्सा नहीं थे और निचली अदालत के रिकॉर्ड में नहीं थे। इसके अलावा, प्रत्यर्थी की ओर से, पामेला गोस्वामी का एक और बयान, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब्ती की तारीख को दर्ज किया गया था, हमारे सामने रखा गया है, यह प्रस्तुत करते हुए कि यह रिकॉर्ड का एक हिस्सा है और उसमें, उसने खुद को मादक पदार्थों का कारोबार करने वाला व्यक्ति स्वीकार किया है।मामले की परिस्थितियों और इस अपील के विषय को ध्यान में रखते हुए, हम इस विवाद में प्रवेश करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि क्या उक्त मोटरकार सवारों के कथित बयान ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा हैं या नहीं और न ही

हम इसके साक्ष्य मूल्य के संबंध में कोई अवलोकन करने का प्रस्ताव करते हैं, लेकिन उनके अंकित मूल्य पर इसकी जांच करने और रिकॉर्ड पर अन्य प्रासंगिक सामग्री पर ध्यान देने के बाद, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि मोटरकार सवारों के कथित बयान आवश्यक उत्तर प्रदान करने के बजाय अधिक प्रश्नों को जन्म देते हैं, जैसा कि देखा गया है।

16. अभियोजन पक्ष के अनुसार, धारा 21 (बी) और 29 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए विचाराधीन एफ. आई. आर. दिनांकित एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जैसा कि एस. आई. सोमनाथ सरकार द्वारा न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन, कोलकाता के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था।यह शिकायत दिनांक 19.02.2021 अपीलार्थी का एक स्वीकृत दस्तावेज है और बल्कि पूरे मामले का आधार है। उक्त लिखित शिकायत के कुछ अंश, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि वाहन को हिरासत में लेने में वास्तव में क्या हुआ था और प्रतिबंधित पदार्थ कैसे बरामद किया गया था, नीचे उपयोगी रूप से देखा जा सकता हैः-

जी.

“....लगभग 11 बजेः30 हम न्यू अलीपुर पी. एस. क्षेत्र के अंतर्गत नलिनी रंजन एवेन्यू पहुंचे।स्रोत हमें मौके पर ले गया और निगरानी रखी।लगभग 13 बजेः00 घंटे के सूत्र ने बताया कि एक मरून रंग की होंडा बीआर-वी कार पश्चिम से पूर्व ए की ओर आ रही थी।

एच.

561

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

दिशा।उक्त वाहन को नलिनी रंजन एवेन्यू, ब्लॉक-बी (पूर्व में 24 एन, ब्लॉक-बी), पीएस-न्यू अलीपुर, कोल-53 में परमेश्वरी सदन नामक एक घर के सामने सड़क पर छापा मारने वाले दल के अन्य सदस्यों की मदद से हिरासत में लिया गया और पाया गया कि दो पुरुष और एक महिला व्यक्ति मरून रंग की कार के अंदर बैठे थे, जिस पर नंबर था। WB06P0233।एक पुरुष व्यक्ति चालक की सीट पर बैठा था और दूसरा पुरुष व्यक्ति चालक की सीट (सामने) के बगल में बैठा था और एक महिला व्यक्ति उक्त वाहन/कार की पिछली सीट पर बैठी थी।हमने हिरासत के उद्देश्य से अपनी पहचान का खुलासा किया।

***

***

***

.....उसके बाद अहस्ताक्षरित व्यक्ति ने सभी कानूनी औपचारिकताओं को बनाए रखते हुए सभी की उपस्थिति में पुरुष बंदियों और उक्त वाहन/कार की मौके पर एक-एक करके तलाशी शुरू की और उस समय महिला कांस्टेबल पेमा लामू शेरपा ने शालीनता और शिष्टाचार बनाए रखते हुए महिला बंदी की तलाशी शुरू कर दी।नं. वाले वाहन की तलाशी के दौरान। डब्ल्यू. बी. 06. पी. 0233 नंबर वाले वाहन के सभी बंदियों से पूछे जाने पर। डब्ल्यू. बी. 06. पी. 0233 ने उक्त वाहन की बाईं सामने की सीट के पीछे के ज़िप कवर और चालक की सीट के नीचे की ओर इशारा किया जहां काले रंग के पॉलिथीन पैकेटों में गुप्त तरीके से उल्लंघन की गई दवाएं/कोकीन पाई गई थी।इसके बाद अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति ने दो काले रंग के पॉलिथीन के पैकेट निकाले और उन्हें एक-एक करके खोला।जब पैकेट खोला गया तो चालक की सीट के बाईं ओर पीछे के ज़िप कवर में 35 टुकड़े पारदर्शी ज़िप पाउच पाए गए, जिनमें से प्रत्येक में सफेद रंग की शक्ति (एस. आई. सी.) कोकीन बताई गई और इसका वजन लगभग 40 ग्राम था।चालक की सीट के नीचे पाए गए पैकेटों को खोलने पर, 31 टुकड़े पारदर्शी ज़िप पाउच पाए गए, जिनमें से प्रत्येक में सफेद रंग की शक्ति (एस. आई. सी.) थी, जिसे कोकीन कहा जाता था और जिसका वजन लगभग 36 ग्राम था।”

(जोर दिया गया) 16.1।पूर्वगामी निष्कर्षण से दो प्रमुख पहलू सामने आते हैंःएक, कि अवरोधन से पहले, विचाराधीन मोटरकार गति में थी और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही थी, जिसे पुलिस ने अन्य छापा मारने वाले दल के सदस्यों की मदद से हिरासत में लिया था; और दूसरा, कि तलाशी के दौरान, मोटरकार में सवार लोगों ने वाहन के अंदर दो विशिष्ट स्थानों की ओर इशारा किया जहां प्रतिबंधित दवा/कोकीन को गुप्त तरीके से रखा गया था, यानी, बाईं सामने की सीट का पीछे का ज़िप कवर और चालक की सीट के नीचे।इन दोनों दावों की जब तीन मोटर-कार सवारों के कथित बयानों के संदर्भ में जांच की जाती है,

जी.

एच.

जैसा कि पूरक लिखित प्रस्तुतियों के साथ हमारे सामने रखा गया है, उनकी असंगतता और विरोधाभास आश्चर्यजनक रूप से सामने आते हैं।उक्त बयानों के अनुसार, छापा मारने वाली टीम द्वारा मोटरकार को कथित रूप से घेरने से कुछ मिनट पहले, उक्त सवार वाहन से बाहर आ गए थे और अमृत राज सिंह अपने कपड़े बदलने के लिए अंदर ही रहे और उन्होंने वाहन के अंदर कम से कम 10 से 15 मिनट बिताए जब इन तीन लोगों ने कथित तौर पर उन्हें झुकते हुए और कार के फर्श पर कुछ करते हुए देखा!कहानी, जैसा कि इन बयानों में सुझाया जाना चाहिए, प्रारंभिक शिकायत में बताए गए मौलिक तथ्यों का खंडन करती है कि तलाशी और छापेमारी करने वाले दल के व्यक्तियों ने वास्तव में चलते वाहन को रोक दिया था और उसे हिरासत में ले लिया था; और यह कि मोटरकार में सवार लोगों ने वाहन में उन विशिष्ट स्थानों की ओर इशारा किया था जहां प्रतिबंधित वस्तुओं को छुपाया गया था।

16.2.जब एस. आई. द्वारा वाहन की तलाशी के बाद लिखित शिकायत दर्ज करने और आई. डी. 1 पर प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के दावे को वाहन के तीन सवारों के कथित बयानों के खिलाफ खड़ा किया जाता है, तो सवाल यह उठता है कि इस स्तर पर दो विरोधाभासी संस्करणों में से किसे स्वीकार किया जाना है?हमारे विचार में, वर्तमान स्तर पर और मामले के प्रथम दृष्टया विचार पर, एकमात्र तार्किक दृष्टिकोण एस. आई. के संस्करण के आधार पर आगे बढ़ना हो सकता है जैसा कि लिखित शिकायत में दिया गया है क्योंकि, यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि लिखित शिकायत में संस्करण सही नहीं है।मामले के इस दृष्टिकोण में, प्रत्यर्थी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले की इमारत गिर जाती है और गिर जाती है।इसे अलग तरह से रखते हुए, अमृत राज सिंह जैसे किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ लगाने की कहानी पर केवल विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अभियोजन पक्ष के प्रारंभिक मामले के बिल्कुल विपरीत है, जैसा कि लिखित शिकायत में कहा गया है।

16.3.एक बार जब प्रत्यर्थी के खिलाफ अभियोजन मामले की सत्यता गंभीर संदेह में हो जाती है, तो नशीली दवाओं की तस्करी के वित्तपोषण और अपराधी को पनाह देने के बारे में अन्य कारकों पर आगे विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि, जब निषिद्ध पदार्थों के रोपण की कहानी को विचार से हटा दिया जाता है, तो अन्य सभी कारक जिनके द्वारा प्रत्यर्थी

को इस तरह के कथित रोपण से जोड़ा जाना चाहिए, कम से कम इस स्तर पर केवल गलत और काल्पनिक माना जा सकता है।

जी.

16.4.इसलिए, वर्तमान उद्देश्य के लिए यह अवलोकन करना पर्याप्त है कि तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, उच्च न्यायालय ने सही पाया है कि इस मामले में धारा 27 ए एनडीपीएस अधिनियम की प्रयोज्यता गंभीर रूप से संदिग्ध है।वह स्थिति है; और अन्यथा कोई वसूली नहीं है ए

एच.

563

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

प्रत्यर्थी से और प्रश्नगत मात्रा भी मध्यवर्ती मात्रा होने के कारण, धारा 37 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की कठोरता वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है।

17. उपरोक्त चर्चा के बाद, हम यह दोहराने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय ने मामले के इस हिस्से पर बिना अधिक विस्तार के और सही तरीके से विचार किया है, क्योंकि केवल जमानत की प्रार्थना विचाराधीन है।हालाँकि, हमने अपने सामने प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों और सामग्री को देखते हुए मामले में और अधिक गहराई से जाना उचित समझा है।किसी भी मामले में, यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, परिणाम ठीक वैसा ही रहता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने संकेत दिया है, कि आरोप पत्र में प्राथमिकी में आरोप की तुलना में बिल्कुल विपरीत मामला प्रत्यर्थी के खिलाफ अभियोजन मामले की सत्यता पर गंभीर संदेह को जन्म देता है।मामले के इस दृष्टिकोण में, प्रस्तुतियों और मोहम्मद के मामलों के संदर्भ का दूसरा भाग। नवाज खान और रिया चक्रवर्ती (ऊपर) को अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जब प्रत्यर्थी के खिलाफ वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ लगाने का मामला प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के कारण अविश्वसनीय है, तो प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे, इसकी मात्रा या वित्तपोषण से संबंधित प्रश्न सभी निरर्थक हो जाते हैं।मामले के इस दृष्टिकोण में, सहायक साक्ष्य के अन्य टुकड़ों जैसे कि उक्त मोहम्मद के कथित बयानों का संदर्भ। नासिर खान और निशात आलम उर्फ रुमान खान के साथ-साथ कथित सीसीटीवी फुटेज और कॉल डेटा रिकॉर्ड कम से कम इस स्तर पर प्रत्यर्थी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले को समर्थन प्रदान नहीं कर सकते हैं।

18. इस मामले के प्रासंगिक पहलुओं का दूसरा खंड प्रत्यर्थी के आचरण से संबंधित है।इस संबंध में, उनके खिलाफ कुछ ध्यान देने योग्य तथ्यों और कारकों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:वह 53 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और उनमें से दो में दोषी ठहराया गया था; उसके खिलाफ समय-समय पर जांच अधिकारियों और लोक सेवकों को धमकी देने के कई आरोप लगे थे; वर्तमान मामले में भी, उसने कथित रूप से पुलिस अधिकारियों को धमकी दी थी और दुर्व्यवहार किया था और आई. पी. सी. की धारा 353 और 506 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था; और <आई. डी. 1 पर, वह उच्च न्यायालय द्वारा उसकी रिट याचिका खारिज होने के बाद भी जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ और उसे दूर के स्थान पर गिरफ्तार किया गया था।ये तथ्य और कारक, प्रथम दृष्टया, इस सवाल को जन्म देते हैं कि क्या प्रत्यर्थी जमानत देने का हकदार था।उच्च न्यायालय का विचार है कि, प्रथम दृष्टया, प्रत्यर्थी ने ऐसा नहीं किया होगा



इस मामले में उस पर अपराध का आरोप लगाया गया है; और, उसके पिछले इतिहास को देखते हुए, यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि जमानत पर रहते हुए उसके एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने की संभावना थी।उच्च न्यायालय ने, परिस्थितियों की समग्रता में, यह विचार रखा है कि प्रत्यर्थी कड़ी शर्तों पर जमानत का हकदार था और उसने अतिरिक्त शर्तें लागू की हैं जैसा कि पहले देखा गया है।

18.1.यद्यपि, प्रत्यर्थी का पिछला इतिहास और यहां तक कि वर्तमान मामले से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में उसका आचरण कुछ प्रश्नों को जन्म देता है, लेकिन वर्तमान मामले में मजबूत प्रतिवाद कारक प्रथम दृष्टया संकेत है कि उसे मनगढ़ंत और आधारहीन कहानियों द्वारा फंसाया जा रहा है।एक अन्य ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्यर्थी अतीत में किसी भी एन. डी. पी. एस. अधिनियम मामले या किसी भी समान अपराध में शामिल नहीं रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह देखा गया है कि प्रत्यर्थी से या उसके अनन्य नियंत्रण में किसी भी स्थान से किसी भी प्रतिबंधित वस्तु का कुछ भी बरामद नहीं किया गया है।यह कारक इस संदेह को और बढ़ाता है कि क्या प्रत्यर्थी मादक पदार्थों या

किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ में लिप्त था?यह स्थिति होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मामले का पूरी तरह से अस्वीकार्य या असंभव दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी जानबूझकर 23.02.2021 पर केवल इसलिए फरार होने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह रात में कोलकाता में नहीं बल्कि पूर्व बर्धमान में पाया गया था।किसी भी मामले में, भागने की प्रवृत्ति से संबंधित पहलू का उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ विधिवत ध्यान रखा गया है।प्रशांत कुमार सरकार (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के संदर्भ में अन्य प्रस्तुतियाँ शायद ही हस्तक्षेप के लिए एक मामला बनाती हैं, विशेष रूप से प्रत्यर्थी के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए।इस संबंध में, हम यह देखने के लिए जल्दबाजी करेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा पहले से ही लगाई गई कड़ी शर्तों के अलावा, अभियोजन पक्ष के लिए किसी भी और शर्त को लागू करने या यहां तक कि प्रत्यर्थी को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने के लिए हमेशा खुला है, पहले से ही लगाई गई शर्तों का उचित पालन करने में उसकी ओर से किसी भी गलती के मामले में।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्यर्थी को विशिष्ट शर्तों के साथ जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

जी.

20. मामले पर समापन करने से पहले, हम यह अवलोकन करना उचित समझते हैं कि इसमें से कोई भी टिप्पणी मुकदमे के बाद निचली अदालत द्वारा लिए जाने वाले अंतिम दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं डालेगी क्योंकि,

एच.

565

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राकेश सिंह @राकेश कुमार सिंह [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

एतऽ देल गेल टिप्पणी सभ मात्र प्रथम दृष्टिसँ देखने योग्य अछि आ ओ सेहो प्रत्यर्थीकेँ जमानत देबाक प्रश्नक उद्देश्यसँ एखन धरि प्रासंगिक अछि।

21. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील विफल हो जाती है और पूर्वगामी टिप्पणियों के अधीन खारिज कर दी जाती है।

बिभूति भूषण बोस

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)

जी.

एच.